ग्राम पंचायत मलाणा, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मलाणा, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती मांगो देवी	1.4.14 से 22.1.2016
2	श्री भागी राम	23.1.2016 से लगातार

(ii) सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री होतम राम	1.4.14 से 13.9.15
2	श्री शम्भू राम	14.9.15 से 16.11.16
3	श्री टेक सिंह नेगी	17.11.16 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत मलाणा के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना व बैंक खातों से मिलान न करना	–
2	4.2	प्राप्त आय को बैंक में जमा न करवाना	0.03
3	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.17

4	8	अनुदानों का उपयोग न करना	18.86
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	6.53
6	12	क्रय मदों की स्ऑक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	6.08

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मलाणा, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी तथा श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 2.11.17 (A.N.) से 8.11.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 2/15, 08/15 व 6/16 तथा 7/14, 6/15 व 11/16 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत मलाणा, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-136 दिनांक 7.11.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मलाणा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत मलाणा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत मलाणा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों की विभिन्न बैंक खातों के अनुसार निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–I (क, ख)** में दिया गया है।

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	767933.30	774894	20247	1563074.30	764725.40	798348.90
2015–16	798348.90	770645	24660	1593653.90	576475.98	1017177.92
2016–17	1017177.92	3988706	71129	5077012.92	2647974.93	2429037.99

(ii) मनरेगाः– परिशिष्ट–I (ग)

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	शून्य	–	–	–	–	–
2015–16	–	–	–	–	–	–
2016–17	–	–	–	–	–	शून्य

4.1 रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना व बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत मलाणा की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित था तथा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करनाा अनिवार्य था। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख रखाव नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों में जमा राशियों से मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 प्राप्त आय ₹0.03 लाख को बैंक में जमा न करवानाः—

ग्राम पंचायत मलाणा, ब्लाक नग्गर की मुख्य रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 113, दिनांक 15.11.16 को सचिव के पास हस्तगत ₹2500 थी तथा नई रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 1 में उक्त हस्तगत राशि को दर्ज न करके हस्तगत राशि शून्य दर्शाई गई। बैंक पास बुक संख्या 2013902224 की जाँच करने पर पाया गया कि 15.11.16 की हस्तगत ₹2500 को बैंक में भी जमा नहीं करवाया गया था। अतः हस्तगत ₹2500 को बैंक में जमा न करवाने तथा नई रोकड़ बही में हस्तगत राशि को शून्य दर्शाने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा ₹2500 की वसूली करके बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः—

ग्राम पंचायत मलाणा द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार ग्राम पंचायत मलाणा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—2 (क से घ)** में दिया गया है।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः—

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों में विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अवधि	हस्तगत राशि (₹)
1	25.6.14 से 9.7.14	5575
2	10.7.14 से 16.7.14	5625
3	17.7.14 से 21.9.14	6075
4	22.9.14 से 14.10.14	6175
5	15.11.14 से 30.12.14	6575
6	31.12.14 से 20.1.15	6075
7	21.1.15 से 25.3.15	9845

8	31.3.16 से 29.5.16	1750
9	30.5.16 से 30.6.16	1800
10	1.7.16 से 30.8.16	2200
11	31.8.16 से 29.9.16	2300
12	30.9.16 से 15.11.16	2500

6 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार न बनाने के कारणें को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹1.17 लाख वसूली हेतु शेषः–

(क) गृहकरः– ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को वर्ष 2011–12 के पश्चात पूर्ण नहीं किया गया था जिस कारण दिनांक 1.4.14 को बकाया गृहकर की राशि की गणना मांग व वसूली रजिस्टर में उपलब्ध नहीं थी। अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक कुल गृहकर की मांग ₹124650 में से केवल ₹10200 की वसूली की गई थी तथा ₹114450 की वसूली शेष थी।

(i) गृहकर परिशिष्ट–3

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	N.A	41050	41050	8450	32600
2015–16	32600	41550	74150	1750	72400
2016–17	72400	42050	114450	–	114450

अतः गृहकर माँग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा रजिस्टर को दिनांक 31.3.17 तक पूर्ण करके कुल वसूली हेतु राशि की गणना करके प्राथमिकता के आधार पर राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) मोबाईल टावर फीस ₹2500 की वसूली शेषः–

सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज पत्र संख्या पी0सी0 एच/एच0ए0/8/99 दिनांक 9.11.06 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर से ₹4000 स्थापना शुल्क व ₹2000 हर साल नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करना अपेक्षित है तथा हर 5 वर्ष बाद नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी की जाएगी। ग्राम पंचायत मलाणा के स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क से सम्बन्धित कोई भी रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। अंकेक्षण अवधि में कुल मांग ₹7500 में से ₹5000 की वसूली **परिशिष्ट–3** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा की गई थी व ₹2500 की वसूली शेष थी। अतः मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए तथा दिनांक 31.3.17 तक कुल वसूली हेतु शेष राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 अनुदान ₹18.86 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹1885508 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	Stationary Register
2	Bill Register
3	Cheque issue/Receipt Register
4	T.A. Check Register
5	Mobile Tower fee Register
6	Stock Register
7	Work Register
8	Temporary Advance Register

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यो का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किया बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार कार्यों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः निम्न कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	कार्य का नाम	व्यय माह	माह में व्यय (₹)	स्वीकृत राशि (₹)
1	LADA	नि0 रास्ता व नाली गाँव मलाणा	7/2014	40000	–
2	13th FC	नि0 कुहल व पाईप द्वारा पीने योग्य पानी तीर्थ उत्तक देवता, जामुल	7/2014	52790	–
3	Nidhi	नि0 रास्ता गाँव मलाणा	6/2015	28920	–
4	LADA	नि0 खेल मैदान, मलाणा	11/2016	671468	–

11 औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना ₹6.53 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ

प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹652819 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय सामग्री लागत ₹6.08 लाख की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः निम्न विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय मद को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	रोकड़ बही पृ0सं0	बिल सं0/ दिनांक	फर्म का नाम	वस्तु	राशि (₹)
1	LADA	78/17.7.14	शून्य	M/S Sonam chand, Vill Jari	Stones	40000
2	13th FC	79/17.7.14	4145/28.6.14	M/S R.V. Hardware & Sanitary Store, Manali	pipes, Elbow, Tee etc	52790
3	IWMP-I	14/9.1.15	शून्य	M/S Jagdish, Malana	Stone	10500
4	IWMP-I	13/19.8.14	शून्य	M/S Tara Chand, Malana	Stone	19500
5	LADA	113/15.11.16	शून्य	M/S Roshan Lal, Malana	Stone	216000
6	LADA	–यथोपरि–	शून्य	M/S Chunje Ram, Malana	Sand	90100
7	LADA	–यथोपरि–	शून्य		M/S Roshan Lal Stone	134000

8	LADA	113/15.11.16	N.A.	M/S H.P. State Civil Supply corporation Ltd. (Cement)	27500
9	MGNREGA	—	59085/ 30.3.16	M/S H.P. Agro Industrial Corporation Ltd. (Creat wive)	17172
				योग	**607562**

13 सत्यापित उपस्थिति विवरणी के बिना ₹0.23 लाख का अनियमित भुगतान बारे:—

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹23100 का भुगतान पशु सहायक व जल रक्षक को किया गया था परन्तु व्यय वाउचरों में पशु सहायक व जल रक्षक के भुगतान अवधि की सत्यापित उपस्थिति विवरणी संलग्न नहीं थी। अतः सक्षम अधिकारी से सत्यापित उपस्थिति विवरणी के बिना किया गया भुगतान आपत्तिजनक व अनियमित है।

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	वा0सं0	नाम	अवधि	राशि (₹)
1	82/15.10.14	13/10/14	श्री विशाल सेन पशु सहायक	7/14 से 9/14	15000
2	94/12.6.15	2/6/15	श्री अमर नाथ जल रक्षक	10/14 से 3/15	8100
				कुल	**23100**

अतः उपरोक्त अवधि में किए गए भुगतानों की सत्यापित उपस्थिति विवरणी प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त न करना:—

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न मानदेय भुगतानों से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त नहीं की गई थी। अतः निम्न मानदेय भुगतानों की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें (APR) प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	वा0सं0	नाम	अवधि	राशि (₹)
1	78/17.7.14	6/7/14	श्रीमती मासी W/O स्वर्गीय श्री दिले राम चौकीदार	1.5.13 से 31.3.14	19800
2	78/17.7.14	7/7/14	श्री चुहड़ू राम, उप प्रधान	1.4.13 से 31.3.14	18000

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

17 निष्कर्षः– ग्राम पंचायत मलाणा की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्टरों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 24/2017–खण्ड–1–2411–2414 दिनाँक 06.04.2018
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत मलाणा, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881